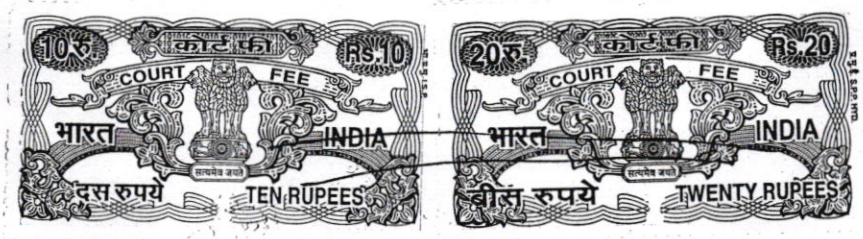

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला शहडोल नि ग – 3316 – II / 16

1. मोतीसिंह पुत्र रामनरेश सिंह, निवासी ग्राम व्यौहारी, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
2. श्रीमती सकुनसिंह पत्नी श्री मोतीसिंह,
3. गीर्वित सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह नाबालिक जर्ये माँ सकुनसिंह, निवासी निवासीगण ग्राम व्यौहारी, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल(म.प्र.)

..........आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती जनकदुलारी पत्नी श्री रामनरेश गुप्ता, निवासी ग्राम व्यौहारी, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल(म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व्यौहारी, जिला शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/अ–3/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम व्यौहारी में स्थित भूमि खसरा नं. 217/3 रकवा 0.20 एकड़ के संबंध में एक आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार. व्यौहारी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि उनकी क्रयशुदा भूमि है तथा विक्रयपत्र में चौहदी दर्ज है। इसी चौहदी के अनुसार उसका कब्जा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि के मौके पर बंटाकन किया जाये। क्योंकि खसरा नं.217 के मूल नम्बर के चार बटा नम्बर है, 217/1ख में गीर्वित सिंह, 217/1ख में मोतीसिंह एवं 217/2 में सकुनसिंह भूमिस्वामी ह।
2. यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार व्यौहारी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और उक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 47/अ–3/2012–13 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.11.2012 से निराकृत किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3316–दो/16 जिला –शहडोल

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
18.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 71/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम ब्यौहारी में स्थित भूमि खसरा न0 217/3 रकबा 0.20 एकड के संबंध में एक आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा तहसीलदार ब्यौहारी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि उनकी कय शुदा भूमि है तथा विक्रयपत्र में चौहदी दर्ज है। इसी चौहदी के अनुसार उसका कब्जा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि के मौके पर बंटान किया जावे। क्यों कि खसरा न0 217 के मूल नं0 के 4 बटा नंबर हैं। 217/1 में गीर्वित सिंह, 217/1 ख में मोती सिंह एवं 217/2 में सकुनसिंह भूमिस्वामी हैं। उपरोक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 47/अ–3/2012–13	

पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.11.2012 से निराकृत किया गया। इससे परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ब्यौहारी के न्यायालय में अवधि वहा्य अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी आदेश दिनांक 30.6. 2016 के अनुसार अनावेदिका का धारा –5 का आवेदन स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में अंतिरिम आदेश दिनांक 30.6.2016 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार ब्यौहारी के विरूद्ध के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के न्यायालय में अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें आवेदकगण की ओर से अपना स्पष्ट जबाव प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि अनावेदक को उपरोक्त आदेश की विधिवत जानकारी आदेश दिनांक से निरंतर रही है। और उपयपक्षों की सहमति केआधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अपील अवधि वाह्य होने पर मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार

किये बिना पारित आदेश दिनांक 30.6.16 द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया है उस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का भी अनुरोध किया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेंमों में बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अवलोकन पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र –धारा–5 का स्वीकार कर प्रकरण में गुणदोष पर निर्णय हेतु दिनांक 19.8.16 नियत की गई है लेकिन अनावेदक द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल में अंतिरिम आदेश दिनांक 30.6.16 के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन विधि प्रावधानों के अनुसार स्वीकार कियागया है जैसा कि **म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–47 एवं परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 के अनुसार पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर बिलंव क्षमा कर सकता है। – उद्घोषणा तथा समन्य विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलंब माफ किया जावेगा।**

2– परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा–5 एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959– धारा–47– सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एवं पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार रूख अपनाया जाकर विलंब क्षमा करना चाहिये।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.6.16 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दा0 दर्ज हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य